

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हरीश चन्द्र. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं० 139/2023 (ऑनलाईन नं. 353270157921878)</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>24.08.23</p>	<p>अपीलार्थी हरीश चन्द्र सिंघल, निवासी 94, बलदेव नगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.05.23. में उसके द्वारा (1) राजस्थान गैरसरकारी शिक्षण संस्थान ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 14.10.2019 को दिये गये निर्देशों की पालना में भुगतान नहीं करने पर एडिशनल सिविल जज एवं मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट नं.-2 जोधपुर महानगर न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2022 के द्वारा कोषाधिकारी शहर जोधपुर को 11,21,665/- रुपये पीडी खातासं० 81(नया खाता नं. 4038) चैक बनाकर हरीशचन्द्र सिंघल के खाते में जमा कराने के निर्देशित किया गया इस बाबत! कोषाधिकारी शहर जोधपुर द्वारा की गई कार्यवाही व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 878 दिनांक 26.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर कोषालय शहर जोधपुर से संबंधित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी जोधपुर, शहर) को जरिये पत्रांक 547 दिनांक 11.05.2023 के स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचना देने के निर्देश दिये गये तथा प्रार्थी को भी पत्र की प्रति प्रेषित की गई। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोषाधिकारी जोधपुर शहर से संबंधित होने से विधिक प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र स्थानान्तरित किया गया तथा अपील दायर होन तक अपीलार्थी को सूचना नहीं दी गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी जोधपुर शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने का कारण अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	<p>(हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</p>